संख्या– 294/xv–2/8(12)/2007

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल,
उधमसिंहनगर, चम्पावत, अल्मोड़ा।

पशुपालन अनुभाग–2 देहरादून : दिनांक 09 मई 2008

विषय :– चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिए मत्स्य विभाग के मत्स्य प्रक्षेत्रों पर मत्स्य सम्पदा प्रबन्धन योजना हेतु धनराशि निर्गत किये जाने हेतु प्रस्ताव का प्रेक्षण।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशक, मत्स्य के पत्र संख्या–655/वार्षिक योजना(जि0यो0)/2008–09 दिनांक 22 अप्रैल, 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में मत्स्य विभाग के मत्स्य प्रक्षेत्रों पर मत्स्य सम्पदा प्रबन्धन योजना हेतु जिला सैक्टर चालू योजनान्तर्गत निम्न विवरणानुसार **रुपया 10.00 लाख (रुपया दस लाख मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रादिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

आयोजनागत (धनराशि लाख रुपये में)

क0 सं0	जनपद	मत्स्य प्रक्षेत्र का नाम	आबंटित धनराशि	आहरण वितरण अधिकारी
1.	देहरादून	ढकरानी	1.50	सहायक निदेशक, मत्स्य, हरिद्वार
2.	चमोली	बैरांगना/तलवाड़ी	3.00	सहायक निदेशक, मत्स्य, चमोली
3.	उत्तरकाशी	गंगोरी/कल्याणी	2.00	सहायक निदेशक, मत्स्य, उत्तरकाशी
4.	उधमसिंहनगर	धौरा	2.50	सहायक निदेशक, मत्स्य, हल्द्वानी, नैनीताल
5.	नैनीताल	भीमताल/भवाली	0.50	सहायक निदेशक, मत्स्य, हल्द्वानी, नैनीताल
6.	चम्पावत	नरियाल गांव	0.50	सहायक निदेशक, मत्स्य, अल्मोड़ा
योग :–			10.00	

(रुपया दस लाख मात्र)

(1) धनराशि को व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये तथा शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये मितव्ययता सम्बन्धी निर्देशों का पालन अवश्य किया जाय तथा व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक किया जाना चाहिए।

(2) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी0एम0–13 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(3) इस सम्बन्ध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय वित्त हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों, कय सम्बन्धी शासनादेशों का पालन कर किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

2– उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008–09 में अनुदान संख्या–28 के लेखाशीर्षक–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–101–अन्तर्देशीय मछली पालन–91–मछली पालन (जिला योजना)–03–मत्स्य प्रक्षेत्रों पर मत्स्य सम्पदा प्रबन्धन–42–अन्य व्यय के सुसंगत मानक मदों के अर्न्तगत वहन किया जायेगा।

3– यह आदेश प्रमुख सचिव, वित्त के पत्रांक–267/XXVII(1) दिनांक 27 मार्च, 2008 एवं मुख्य सचिव के पत्र दिनांक 17 अप्रैल, 2008 के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 2 94(1)/XV–2/2007–तददिनांकित 9-05-08

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव एवं आयुक्त को प्रमुख सचिव एवं आयुक्त महोदया के संज्ञानार्थ प्रस्तुत करने हेतु।
3. महालेखाकार उत्तराखण्ड।
4. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमॉयू मण्डल, नैनीताल।
5. निदेशक, मत्स्य विभाग, उत्तराखण्ड।
6. सहायक निदेशक, मत्स्य, देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी, नैनीताल, उधमसिंहनगर, चम्पावत, अल्मोड़ा।
7. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. बजट, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
10. वित्त अनुभाग–4।
11. मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0बी0 ओली)
संयुक्त सचिव।